2006:CGHC:5454

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1026/ 2003

याचिकाकर्ता : **सुरेंद्र कुमार ठाकुर**

बनाम

उत्तरवादीगण : **भारतीय स्टेट बैंक व अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 मार्च, 2006 को आदेश हेतु सूचिबद्ध किया गया

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

2006:CGHC:5454

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1026/ 2003

याचिकाकर्ता : सुरेंद्र कुमार ठाकुर

बनाम

उत्तरवादीगण : भारतीय स्टेट बैंक व अन्य

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति **श्री सतीश के. अग्निहोत्री**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण की ओर से : श्री पी.आर. पाटनकर ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(3 मार्च, 2006)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत वर्तमान रिट याचिका के द्वारा सेवा से हटाने के आदेश दिनांक 16.12.2002 (अनुलग्नक पी-26) को आक्षेपित किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद "एसबीआई" के रूप में संदर्भित) में सहायक (नकदी और लेखा) के पद पर दिनांक 9.10.1995 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था और वह सुकमा, जिला-दंतेवाड़ा में नियुक्त था। उत्तरवादीगण / बैंक को श्रीमती रुक्मिणी बाई (इसके बाद

2006:CGHC:5454

"शिकायतकर्ता" के रूप में संदर्भित) से एक शिकायत मिली कि एसबीआई की किरंदुल शाखा के उसके खाता संख्या 01190010093 से 10,000 / - रुपये की राशि निकाली गई है। शिकायत में कहा गया था कि, इस बीच, उसे खजांची द्वारा धमकी दी गई थी कि अगर उसने निकासी पर्ची पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो वह जेल जाएगी। यह आगे कहा गया था कि एक बैंक सुरक्षा गार्ड उसके हस्ताक्षर लेने के लिए एक खाली पर्ची लेकर आया था, जिससे उसने इनकार कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्त शिकायत के आधार पर, शाखा प्रबंधक, किरंदुल ने याचिकाकर्ता को एक मेमो जारी कर शिकायतकर्ता के खाते से दिनांक 18.3.2000 को 10,000/- रुपये की कथित निकासी का विवरण और स्पष्टीकरण मांगा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 1.1.2000 को अपना जवाब (अनुलग्नक पी-3) प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को स्मरण नहीं है कि निकासी पर्ची जमा करते समय खाताधारक के पास पासबुक थी या नहीं। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि वह शिकायतकर्ता को जानता था, क्योंकि उसका निवास उसी ब्लॉक में था, जहाँ शिकायतकर्ता रह रहा था।

4. याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक प्राधिकारी और सहायक महाप्रबंधक द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2000 (अनुलग्नक पी-4) द्वारा इस आधार पर निलंबित कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने बही में प्रविष्टि की है और शिकायतकर्ता की

2006:CGHC:5454

पहचान करने के बाद पासिंग अधिकारी द्वारा निकासी पर्ची पारित करवाई है। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने खजांची श्री के.आर. कश्यप से भुगतान लिया था।

5. सहायक महाप्रबंधक, एसबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर ने याचिकाकर्ता को दिनांक 12.10.2000 (अनुलग्नक पी-5) को एक और नोटिस जारी कर शिकायतकर्ता के खाते से 10,000/- रुपये की निकासी के बारे में स्पष्टीकरण माँगा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.10.2000 (अनुलग्नक पी-6) के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि कथित निकासी में याचिकाकर्ता का कोई हाथ नहीं था। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के खाते की कंप्यूटर बहीखाता की एक प्रति, निकासी पर्ची की एक प्रतिलिपि और खजांची की दिनांक 18.3.2000 की मूल पर्ची और कैश पंजी का निरीक्षण करने का अनुरोध किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि खजांची से धनराशि लेते समय वाउचर पर किसने हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दिनांक 6.11.2000 के पत्र (अनुलग्नक पी-7) के द्वारा, एसबीआई की किरंदुल शाखा के शाखा प्रबंधक ने आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि देने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता को स्थानीय शाखा के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति में उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 9.11.2000 के एक अन्य पत्र (अनुलग्नक पी-8) भेजकर कहा कि याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता के खाते से 10,000/- रुपये की निकासी पर्ची का निरीक्षण भी नहीं

2006:CGHC:5454

करने दिया गया, जब वह दिनांक 8.11.2000 को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए शाखा गया था। यह भी अनुरोध किया गया कि निकासी पर्ची का निरीक्षण याचिकाकर्ता को दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने निकासी पर्ची पासिंग अधिकारी, श्री के.के. सहारे से इस आधार पर पारित करवाई है कि वह शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता हैं। याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप का खण्डन कर पासिंग अधिकारी श्री के.के. सहारे के उनके बैंक स्क्रॉल और ट्रांजिट पंजी के निरीक्षण का अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. एक अन्य पत्र दिनांक 13.11.2000 (अनुलग्नक पी-9) द्वारा याचिकाकर्ता ने शाखा प्रबंधक, किरंदुल शाखा से अनुरोध किया कि वे उसे पासिंग अधिकारी श्री के.के. सहारे की बैंक स्क्रॉल और ट्रांजिट पंजी तथा शिकायतकर्ता की दिनांक 18.3.2000 की निकासी पर्ची का निरीक्षण करने की अनुमति दें।

8. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 9.11.2000 के पत्र (अनुलग्नक पी-10) द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 12.10.2000 से 14.10.2000 तक का नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना था, जो अवधि समाप्त हो चुकी थी, याचिकाकर्ता को शाखा प्रबंधक के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण/विवरण प्रस्तुत करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, ऐसा न करने पर यह माना गया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में कुछ नहीं कहना था।

2006:CGHC:5454

9. याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.11.2000 के पत्र (अनुलग्नक पी-11) द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें सभी आरोपों और इस तथ्य से इनकार किया कि शिकायतकर्ता के खाते से 10,000/- रुपये की निकासी में उसकी कोई भूमिका थी। यह भी कहा गया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, न तो उन्हें निकासी पर्चियों की प्रति दी गई और न ही निकासी पर्चियों का निरीक्षण किया गया। यह भी कहा गया कि उन्होंने राशि नहीं निकाली।

10. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 29.12.2000 को एक आरोप पत्र (अनुलग्नक पी-13) इस आधार पर जारी किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 18.3.2000 को शिकायतकर्ता के खाते से राशि निकालने के लिए उसके नाम से एक कूटरचित निकासी पर्ची प्रस्तुत की थी और पासिंग अधिकारी से पर्ची पास करवा ली । यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने स्वयं खजांची से उक्त राशि के विरुद्ध भुगतान प्राप्त किया है और खाता संख्या 01190008287 और 01190005150 के अन्य खाताधारकों की ओर से अन्य राशि भी प्राप्त की है। उक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता पर खाताधारकों के साथ कपट कारित करने के लिए शास्त्री अवार्ड के खंड 521(4)(जे) सहपठित देसाई अवार्ड का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया, जो "गंभीर कदाचार" के दायरे में आता है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त दोनों आरोपों पर 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5454

11. याचिकाकर्ता ने दिनांक 3.1.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी-14) के माध्यम से एसबीआई, किरंदुल के शाखा प्रबंधक से शिकायतकर्ता के बैंक खाता संख्या 01190008287, खाता संख्या 01190005150 और खाता संख्या 01190010093 के मामले में दिनांक 18.3.2000 को निकासी पर्चियों का निरीक्षण करने का अनुरोध किया।

12. उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 20.8.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी-16) के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त 7 दिन का समय दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता ने 15 दिनों की अवधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, जो कि उसे पहले दी गई थी। अंततः, याचिकाकर्ता ने दिनांक 7.9.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी-17) द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें अपने विरुद्ध सभी आरोपों का खंडन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दिनांक 12.9.2001 के पत्र (अनुलग्नक पी-18) द्वारा, श्री डी. चंदा, प्रबंधक, एसबीआई, बचेली शाखा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और उन्हें निर्धारित समय अर्थात दिनांक 12.3.2002 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच की और दिनांक 26.3.2002 (अनुलग्नक आर-IV) को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि आरोप क्रमांक 1, जहां तक याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की ओर से कूटरचित निकासी पर्ची प्रस्तुत की और बहीखाता (कंप्यूटर) में प्रविष्टि करवाई और निकासी

2006:CGHC:5454

पर्ची को पास करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया, सिद्ध हुआ। दूसरा आरोप कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की निकासी पर्ची के विरुद्ध राशि और खजांची से खाता संख्या 01190008287 और 0190005150 के विरुद्ध दो अन्य राशियां स्वीकार की हैं, आंशिक रूप से सिद्ध हुआ।

14. याचिकाकर्ता को जाँच रिपोर्ट पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 27.3.2002 के पत्र (अनुलग्नक आर-VII) द्वारा दूसरा कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके बाद दिनांक 14.6.2002 के पत्र (अनुलग्नक आर-IX, अनुलग्नक P-24) द्वारा एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 25.7.2002 के पत्र (अनुलग्नक P-25) द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उत्तरवादी क्रमांक 2/अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 16.12.2002 के आदेश (अनुलग्नक पी-26) के तहत, जांच रिपोर्ट से सहमत होकर, दिनांक 10.4.2002 के समझौता ज्ञापन के खंड 521 (6) (ख) के तहत (अनुलग्नक-II) पृष्ठ-4 कंडिका -6 के तहत याचिकाकर्ता को बैंक की सेवा से हटा दिया, जो कि शास्त्री अवार्ड सहपठित देसाई अवार्ड के अनुसार संशोधित किया गया था, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने गंभीर कदाचार किया है।

16. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात निदेशक मंडल के समक्ष अपील प्रस्तुत किए बिना यह याचिका प्रस्तुत की है।

2006:CGHC:5454

17. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि जाँच रिपोर्ट के निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं और निष्कर्ष अविश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित हैं, अतः जाँच अधिकारी के निष्कर्ष गलत हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को न तो निकासी पर्चियाँ, बैंक स्क्रॉल और पासिंग अधिकारी की ट्रांजिट पंजी जैसे सुसंगत दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए और न ही याचिकाकर्ता को सभी निकासी पर्चियों और वाउचरों का निरीक्षण कराया गया, जिनके माध्यम से व्यक्ति वाउचरों के पीछे हस्ताक्षर करने के बाद खजांची से राशि प्राप्त करता है। जाँच अधिकारी ने बैंक के सुरक्षा गार्ड के निम्नलिखित कथन पर विचार नहीं किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "18/3/2000 को मै छुट्टी पर था 25.3.2000 को मै श्री एस के मिश्रा (प्रधान रोकडिया) व श्री के के सहारे (एकाउन्टेन्ट) के कहने पर मैं रूपये 10,000/- का आहरण बगैर डेट के श्रीमती रूकमणी बाई से दस्तखत करवाने उनके घर भेजा गया था जो कि उन्होने दस्तखत करने से मना कर दिया उन्होने कहा कि मैं बैंक में आकर बात करूंगी। इस खाते के गबन के बारे में मूझे पूर्व में जानकारी नही थी मुझे आने के बाद इस गबन के बारे में जानकारी हुई"

आरोप क्रमांक 2 के संबंध में, जाँच अधिकारी ने श्री एम.एल. नाग और श्री ए.आर. कश्यप के निम्नलिखित कथन पर विचार नहीं किया है:-

2006:CGHC:5454

"पेमेंन्ट आपको किससे मिला ।

मुझे पेमेन्ट जल्दी चाहिये था अतः मैने श्री ठाकुर को पेमेन्ट लाने कहा ।

क्या आपको तुरंत मिला ।

18/3/2000 को आपने टोकन किससे लिया था ।?

क्या आपने स्वयं पेमेंट लिया ।?

हां

क्या आपने आहरण के पीछे हस्ताक्षर किया था।

हां किया था ।

पेमेंट आपने खुद लिया था।

हां ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खजांची ने बैंक वाउचर पर उसके हस्ताक्षर लेने के लिए शिकायतकर्ता को धमकी दी थी, जिसे जांच अधिकारी ने ध्यान नही दिया।

18. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य**[1] **तथा योगीनाथ बागड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं एक अन्य**[2] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया कि निष्कर्ष विकृत हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षों का समुचित रूप से पालन नहीं करते

1(1999) 2 Supreme Court Cases 10
2 (1999) Supreme Court Cases 739

हैंऔर ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय को जांच अधिकारी के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने और सेवा में बहाली का अनुतोष प्रदान करने का अधिकार है।

19. उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने शास्त्री अवार्ड (पठित देसाई अवार्ड) और उसके बाद प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच समय-समय पर हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत उपलब्ध संविधिक प्रभावी उपचार का लाभ उठाए बिना ही यह याचिका सीधे प्रस्तुत की है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करके जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो एक विस्तृत और गहन जाँच के बाद, अभिलेखों में उपलब्ध सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षकारों द्वारा परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य पर विचार करने के बाद की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि जाँच विस्तृत और संपूर्ण है। जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, याचिकाकर्ता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए दूसरा कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी जाँच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बैंकिंग प्रणाली जनता के विश्वास पर आधारित है और याचिकाकर्ता के कृत्य ने बैंक के संचालन में जनता के विश्वास को हिलाकर रख दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5454

20. याचिकाकर्ता ने ऐसा कृत्य करके गंभीर कदाचार किया है, जिसके तहत उसने पासिंग अधिकारी से इस आधार पर निकासी पर्ची पास करवा ली कि शिकायतकर्ता ने अपने खाते से 10,000 रुपये निकालने के लिए निकासी पर्ची दी थी और वह किसी कार्य से परिसर से बाहर गई थी। जैसा कि स्वयं शिकायतकर्ता ने बताया और जांच अधिकारी ने दिनांक 18.3.2000 को दर्ज किया कि शिकायतकर्ता ने परिसर में प्रवेश नहीं किया और राशि निकालने के लिए कोई निकासी पर्ची जमा नहीं की। यह याचिकाकर्ता की भूमिका को इंगित करता है। दूसरे आरोप-पत्र के संबंध में, यह आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया है क्योंकि यह आरोप कि याचिकाकर्ता ने अन्य खाताधारकों श्री एम.एल. नाग और ए.के. कश्यप की ओर से नकद राशि प्राप्त की है, सिद्ध नहीं पाया गया। लेकिन, शिकायतकर्ता की ओर से राशि स्वीकार करना सिद्ध पाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् विस्तृत जांच की गई है।

22. जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कथनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता को आरोप क्रमांक 1 का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। सुरक्षा गार्ड का कथन और रुक्मिणी बाई की शिकायत इस आरोप से संबंधित नहीं पाई गई कि याचिकाकर्ता ने पासिंग अधिकारी को बताया था

2006:CGHC:5454

कि याचिकाकर्ता खाताधारक अर्थात शिकायतकर्ता को जानता है और खाताधारक किसी कार्य से बाहर गई थी। इस आधार पर, याचिकाकर्ता ने पासिंग अधिकारी से निकासी पर्ची पास करवा ली। यदि शिकायतकर्ता के कथन और सुरक्षा गार्ड के इस कथन पर भी विचार किया जाए कि खजांची ने शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक खाली निकासी पर्ची/वाउचर भेजा था, तो भी यह साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता इस झूठे कथन के आधार पर कि वह किसी कार्य से बाहर गई थी, पासिंग अधिकारी से निकासी पर्ची पास करवाने की दोषी नहीं था। निःसंदेह, शिकायतकर्ता दिनांक 18.3.2000 को राशि निकालने के लिए बैंक गई ही नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. कुलदीप सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> "9. सामान्यतः उच्च न्यायालय और यह न्यायालय आंतरिक जाँच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन यदि "दोष" का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो यह एक विकृत निष्कर्ष होगा और न्यायिक जाँच के अधीन होगा।
>
> 10. इसलिए, विकृत निर्णयों और विकृत न होने वाले निर्णयों के बीच एक व्यापक अंतर बनाए रखा जाना चाहिए। यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य के या ऐसे साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है जो पूरी तरह से अविश्वसनीय है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति उस पर कार्यवाही नहीं

2006:CGHC:5454

करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन यदि अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य है जो स्वीकार्य है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

24. योगीनाथ डी. बैज (पूर्वोक्त) के एक अन्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"51.....विधि में यह सुस्थापित है कि यदि निष्कर्ष विकृत हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं हैं या आंतरिक विचारण में दर्ज निष्कर्ष ऐसे हैं जिन तक कोई भी विवेकशील व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, तो उच्च न्यायालय और इस न्यायालय दोनों के लिए मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। कुलदीप बनाम पुलिस आयुक्त मामले में, इस न्यायालय ने नंद किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रामा राव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम प्रकाश चंद जैन, भारत आयरन वर्क्स बनाम भागुभाई बालुभाई पटेल और राजिंदर कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के पूर्व निर्णयों का अवलंब लेते हुए यह निर्धारित किया कि यद्यपि न्यायालय विभागीय जाँच में अनुशासनात्मक प्राधिकारी या जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों पर अपील नहीं सुन सकता, इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय किसी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थिति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह देखा गया कि संविधान के तहत उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को उपलब्ध न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आंतरिक जाँच को भी अपने संज्ञान में लेती है और यदि निष्कर्षों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है या दर्ज निष्कर्ष ऐसी स्थिति थी कि कोई सामान्य विवेकशील व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता था या निष्कर्ष विकृत थे।"

25. **बी.सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य**[3] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. न्यायिक पुनर्विलोकन किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है, बल्कि उस निर्णय के तरीके की समीक्षा है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुँचता है वह न्यायालय की दृष्टि में आवश्यक रूप से सही हो। जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोपों पर जाँच की जाती है, तो न्यायालय/अधिकरण का कार्य यह निर्धारित करना होता है कि जाँच किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थी या नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया गया था। चाहे निष्कर्ष या परिणाम किसी साक्ष्य पर आधारित हों, जाँच करने की

3 (1995) 6 Supreme Court Cases 749

शक्ति प्राप्त प्राधिकारी के पास तथ्य या निष्कर्ष पर पहुँचने का अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होता है। लेकिन वह निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम और न ही उसमें परिभाषित तथ्य या साक्ष्य के प्रमाण के नियम, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर लागू होते हैं। जब प्राधिकारी यह स्वीकार करता है कि साक्ष्य और निष्कर्ष उससे समर्थित हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह मानने का हकदार है कि अपचारी अधिकारी आरोप का दोषी है। न्यायालय/न्यायाधिकरण अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में साक्ष्य की पुनः विवेचना करने तथा साक्ष्य पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय/न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ प्राधिकारी ने अपचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध या जाँच के तरीके को निर्धारित करने वाले संविधिक नियमों के उल्लंघन में की हो, या जहाँ अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष या परिणाम किसी साक्ष्य पर आधारित न हो। यदि निष्कर्ष या परिणाम ऐसा हो जिस पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी नहीं पहुँच सकता, तो न्यायालय/न्यायाधिकरण उस निष्कर्ष या परिणाम में हस्तक्षेप कर सकता है, और अनुतोष को इस प्रकार परिवर्तित कर सकता है कि वह प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुरूप हो।

26. एक अन्य नवीनतम निर्णय में, वर्तमान याचिका में शामिल विवाद्यक पर सर्वोच्च न्यायालय के सभी पिछले निर्णयों पर विचार करने के बाद, **वी. रमना बनाम ए.पी. एसआरटीसी और अन्य**[4] में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "11. इन सभी निर्णयों में एक बात समान रूप से कही जा रही है कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह निर्णय अतार्किक न हो या प्रक्रियागत अनुचितता से ग्रस्त न हो या न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरने वाला न हो, इस अर्थ में कि वह तर्क या नैतिक मानकों के विरुद्ध हो। वेडनसबरी मामले में जो कहा गया है, उसे देखते हुए न्यायालय प्रशासक द्वारा लिए गए विकल्प की शुद्धता पर विचार नहीं करेगा और न्यायालय को प्रशासक के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय नहीं देना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का विस्तार निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी तक सीमित है, न कि निर्णय तक।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, जाँच अधिकारी के निष्कर्षों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और तदनुसार, जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत नहीं हैं। निष्कर्षों में कोई दोष नहीं है। तदनुसार, इसमें किसी हस्तक्षेप की

---

4 (2005) 7 Supreme Court Cases 338

2006:CGHC:5454

आवश्यकता नहीं है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड न्यायसंगत और उचित प्रतीत होता है। यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय प्रतिस्थापित करने के लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। अतः, सेवा से हटाने का दंड यथावत रखा जाता है।

27. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava, Advocate